कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक क/वाचक–1/2017 /367 घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

प्रति

कलेक्टर
(भू–अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात–1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:–

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. ज्रेकेला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2– उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन **"आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि पहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है"** के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र– 10 ग्राम का
प्रतिवेदन

25.2.18
अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

–:: ईश्तहार::–

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोडा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईश्तहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक–पृथक) में ईश्तहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दिनांक 08 **मई, 2017** तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक **17.04.2017** को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

17.4.17

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

मुहर

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संर्दभः– आपका आदेश कमांक 110805/भू–अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र कमांक क/वाचक–1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलंन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम नुन्दरहा, तहसील– तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपकम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपकम की एक

इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल बलॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दुरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है, एवं अधिसूचित क्षेत्र है। तदनुसार P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का अयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क. .....) ।

- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा खसरा नं. कुल 30 का कुल रकबा 6.12 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 28 व्यक्ति प्रभावित होगें जिसमें 27 अनुसूचित जन जाति और 1 अन्य संवर्ग का है। तथा 13 सीमांत, 9 लघु, एवं 6 समान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की किसी भी व्यक्ति की पुरी जमीन नहीं जा रही है।

- वस्तुतः इस ग्राम में इस रेल लाईन को बिछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में ही किया जा चुका है, यह रिकार्ड देखने से स्पष्ट होता है पूर्व में किये गये अधिग्रहण में इन प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि छूट गई थी, स्थल पर जांच करने में यह स्पष्ट हुआ कि यह भूमि अधिग्रहण करने से छूट गई है, और जब तक इन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता तब तक पूर्व में किया गया अधिग्रहण पर कार्य नहीं किया जा सकता और न ही रेल लाईन बिछाई जा सकती है अतः यह अधिग्रहण आवश्यक है।

- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निश्चित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निमार्ण में इस बात का ध्यान रखा गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कूल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ रहा है और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है, जहां तक वैकल्पिक भूमि का प्रश्न है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, आस – पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है।

- न्यूनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनिकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है, जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क. .....) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरुप है।

- समिति कें संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।

- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुध्द कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।

- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क. .....) ।

- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरुप निर्धारित प्रकिया का पालन किया गया है।

प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपकम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता

से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपकम द्वारा निश्चिय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्यां केवल 28 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम केराखोल की खसरा नं 317/1, 164/3, 164/1, 348/19, 385/4, 385/5, 385/6, 369/1, 371/1, 385/2, 369/2, 369/3, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 307/20, 307/19,149/5, 166/1, 171, 307/9, 307/8, 307/17, 338/5, 338/6, 386/1, 385/1, 267 रकबा कमश1.25, 0.20, 0.10, 0.27, 0.10, 0.10, 0.10, 0.07, 0.09, 0.10, 0.10, 0.20, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.10, 0.08, 0.29, 0.12, 0.10, 0.10, 0.20, 0.37, 0.52, 0.46, 0.14, 0.10, 0.22, 0.24 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी

सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनिकी विशषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक

ग्राम बनडरहा

दिनांक 29/04/20

विषय- रेल्वे कॉरीडोर परियोजना की जन सुनवाई के संबंध में।

रेल्वे लाइन कुल 17.5 प्रति एकड़ 11 लाख बत्तीस हजार रु. है। बताया

1. सूरतगढ़ वाली से लादा तक रेल लाइन बनडरहा में।

2. श्री संजय अग्रवाल - ग्राम पंचा बनडरहा व कोटबेन जन सुनवाई रेल कॉरीडोर हेतु दिल्ली भी जाए उपस्थित हुए ग्रामीणों से अनुरोध तथा जिसका जमीन जा रहा है तहसीलदार सहब से संपर्क कर मुआवजा लेने को कहा गया।

3. तहसीलदार सहब- NTPC के सर्वजनिक कोयला परिवहन हेतु 90% हो चुका है। लोगों से अपने विचार रखने को कहा गया। ग्रामीण समस्या को बोलने को कहा गया।

4. प्रभावित व्यक्तियों के नाम -
कुआखेल - 05 खाते 18 लोग है। मेहनत बन्दोबस्त 56 हटाकर कुल 528000 गोचर

ग्राम

1. राम प्रसाद नाम प्यारी
2. जोगीराम स्वामी, माली
3. सुरेश कुमार / बंशी सिंह
4. घासियारा - मूलसिंह
घासियारा
कार्तिक देवल मालाराम

सर्वोदय चक्र

कुलदीप, रामपाल, अमित, मनीष, अनीता गुप्ता, देवमती, किरण, अनिल, सरोज, जगदीश, सिकन्दर, मोती, मन्नी, नरेन्द्र सिंह, अमल सिंह, नयन सिंह चौहान, विनोद, अलोकराम, तिवारी, लखादीन सिंह सहदेव, लक्ष्मीचन्द्र, हरीराम, छुट्टीराम, सत्यराम सिंह चौहान, जगरचन्द्र, अमाराम, मोतीमनी, गोविन्दराम सिंह मनीराम

सरपंच प्रतिनिधि - जमपाल वाल्मिकी, रेलवे लाइन हेतु जन सुनवाई एवं समाचार पत्र के माध्यम से NHAI एवं NTPC के सभी कर्मचारियों से रेलवे लाइन हेतु एमएल ग्रा.पं. रनडहा में शौचालय निर्माण हेतु स्थानीय समस्या एवं शौचालय की व्यवस्था एवं मांग रखी गयी।
जिस व्यक्ति के जमीन जा रही उसमें कुछ जमीन जा रही एवं कुछ बचा है उन जमीन के भी मौजा दिये जावें।
रेलवे लाइन ग्रा मौजा गांव में दिये जावें।

प्रधान पंचायत सहायक रनडहा - प्रकरण में वाइडनिंग प्रेमजल एवं शौचालय निर्माण की समस्या रखी गयी, ग्राम में इस समस्या को ध्यान दें।

सरपंच - नकलिया वाल्मिकी NTPC के सहयोग से चौहान एमएल गांव में जो जमीन जा रही है मौजा जल्दी दिये जावें अच्छे से दें।

सरपंच प्रतिनिधि → गजपाल सिंह
आमिल ग्राम मे तालाब हेतु NTPC के तरफ से गहरीकरण का प्रस्ताव रखा।
सी.सी. रोड एवं पंचायत भवन मे बाउंड्रीवाल निर्माण किये जाने।

ग्रेवाबोलेरवाला एक मुद्दा था। मेरे चेक प्रकरण का भुगतान के नाम से, 1.13 डिसमील पमेंट अलाव के आस पास प्राप्त होने की बताया गया।

ललिता शर्मा
सरपंच

प्रभारी
ग्राम पंचायत कुसमाहा
वि.ख. मनावर जि. धारा (म.प्र.)

ग्राम - नूनदरहा + केराखेत

सामाजिक समाधान जनसुनवाई की उपस्थिति पंजी

दिनांक - 29.04.16

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर
1	ईजोरसिंह कोर्राम	ईजोरसिंह कोर्राम
2	टिकेश्वर प्रसाद कोर्राम	टिकेश्वर प्रसाद
3	भवरसाय राठिया	
4	उदेराम भाम्भी	उदेराम
5	तिहारू राम	
6	संतोष	संतोष
7	तिजराम	
8	सुसमाबाई	सुसमा
9	हिरामति बाई	
10	राजकुमारी बाई	
11	सुकमोति बाई	
12	निरासो बाई	
13	धनेश्वरी बाई	धनेश्वरी
14	उदासी बाई	
15	पिलमोति बाई	

16	घुरई बाई	
17	रम्भावति	रम्भा प्रांवास
18	संकुन्तला बाई	संकुन्तला
19	महेश्वरी राठिया	महेश्वरी राठिया
20	तिजा बाई	तीजा
21	सहोन्द्रा बाई	
22	चनमोति बाई आसमोतिबाई	चनमोति
23	बुन्दकुवर बाई	बुन्दकुवर
24	संतोषी बाई	
25	आशाराम ~~गौरी बाई~~	
26	गौरी बाई	
27	अमरसाय	अमरसाय
28	जगतराम यादव	जगतराम यादव
29	भगतराम	भगतराम राठिया
30	धजाराम	धजाराम राठि

31	अनिता कुमारी	Anita
32	बिराजी बाई	बिराजी
33	लखनलाल यादव	Lyadav
34	जयपाल राव्या	जयपालसिंह राव्या
35	चन्द्रावति बाई	
36	सनकुंवर बाई	
37	सुकलाल राव्या	सुकलाल
38	घसिया राम मान्की	
39	खुलसराम	KHULAS RAM
40	श्रवण कुमार	श्रवण कुमार
41	~~सुमेश्वर~~ सुमेश्वर राम	सुमेश्वर
42	सन कुंवर बाई चौहान	
43	शान्ती चौहान	
44	महेन्द्र चौहान	
45	सती रानी चौहान	

46 अमृतलाल — अमृतलाल

47 गौरीलाल — गौरीलाल

48 बीजय कुमार — बीजयकुमार

49 पवित्र — पवित्र

50 गोकुल — गोकुल

51 जहरसाय चौहान — जहरसाय

52 ~~डी. पी. दुबे~~ ~~Ghughuda~~ — 29/5/16

53 ~~पी. एन. चतुर्वेदी~~ — Pandey

54 ~~आर. एल. शर्मा School project Survey Sub Divisional Raipur~~ — [illegible]

55 रामेश्वर पटेल तहसीलदार — [illegible]

56 संजय अग्रवाल उपाध्यक्ष जनपद पंचायत — [illegible]

57 ललिता राठिया सरपंच — ललिता राठिया

58 ~~[illegible]~~ शिव कुमारी सिंह — [illegible]

59 सनपत राम्या सचिव — [illegible]

60 इतवार सिंग — इतवार

प्रभावित खातेदार का विवरण

ग्राम नुन्दरहा प0ह0नं0 राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)

कमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अर्जित (हेक्टेयर)	रकबा अर्जित (ए0)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू–खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किस्म जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिछली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	रसपाल व बुडुराम जाति गोंड़	317/1	1.052	0.505	1.25	1.351	असिंचित	धान	L	ST
2	जयंत ठेठवार व0 हरिराम, अर्चना पति जयंत, मीता गुप्ता पति मनिष, मनिष व0 बलराम जाति रावत	164/3	0.081	0.081	0.20	0.081	असिंचित	उड़द	S	OBC
3	देवमती वेवा बैहालाल, कीर्तन वल्द हटाऊ जाति गोंड़	164 /1	0.339	0.040	0.10	0.339	असिंचित	धान	S	ST
4	भुनेश्वर व0 किर्तन जाति कंवर	348/19	0.292	0.109	0.27	2.442	असिंचित	धान	AM	ST
5	सरोज कुमार व0 रावेल जाति उरांव	385/4	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
6	जुनाथान व0 मरकुस जाति उरांव	385/5	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
7	सिलबानुस व0 सुझू जाति उरांव	385/6	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
8	मोतीमनी जौ असफ जाति उरांव	369/1	0.035	0.030	0.07	1.479	असिंचित	धान	L	ST
		371/1	1.218	0.038	0.09		असिंचित	धान		
		385/2	0.226	0.040	0.10		असिंचित	धान		
9	नोहरसिंह व0 संतोषसिंह जाति गोंड़	369/2	0.607	0.040	0.10	6.107	असिंचित	धान	O	ST
10	अमरसाय व0 रामचरण जाति गोंड़	369/3	0.183	0.080	0.20	0.532	असिंचित	धान	S	ST
11	आसफ मिंज व0 विश्राम जाति उरांव	371/2	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
12	मनोजकुमार व0 पोलीकार्प जाति उरांव	371/3	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
13	सुधीर व0 मार्टिन जाति उरांव	371/4	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
14	मुकूटदान व0 पोतीकार्प जाति उरांव	371/5	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
15	नैमनकुमार व0 विश्राम जाति उरांव	371/6	0.041	0.041	0.10	0.041	असिंचित	धान	S	ST
16	विकास टोप्पो व0 अनास्तुस जाति उरांव	307/20	0.044	0.032	0.08	0.044	असिंचित	धान	S	ST
17	विनोद बरवा व0 हबिल	307/19	0.118	0.118	0.29	4.273	असिंचित	धान	M	ST
18	अलिखराम व0 समसर	149/5	0.793	0.048	0.12	1.329	असिंचित	धान	L	ST
19	तिहारी व0 नकुल, सुखलाल, सुखमति व0 घुराउ	166/1	0.437	0.040	0.10	1.981	असिंचित	धान	L	ST
20	एतवारीन पि0 सहदेव	171	0.251	0.040	0.10	2.320	असिंचित	धान	AM	ST
21	लक्ष्मीबाई पि0 संतराम	307/9	0.607	0.080	0.20	0.987	असिंचित	धान	S	ST
22	कांशीराम व0 बोधराम	307/8	1.943	0.150	0.37	**1.989**	असिंचित	धान	L	ST
23	पुनीलाल, छेदीलाल व0 लोधुराम	307/17	0.51	0.210	0.52	1.898	असिंचित	धान	L	ST
24	संतराम व0 बनाउ	338/5	0.425	0.186	0.46	1.229	असिंचित	धान	L	ST
25	मेहतरीन व0 जीराधन	338/6	0.809	0.056	0.14	1.729	असिंचित	धान	L	ST
26	धनमती व0 भगतराम	386/1	0.162	0.040	0.10	1.329	असिंचित	धान	L	ST
27	आत्माराम व0 अमरूद	385/1	0.35	0.089	0.22	2.425	असिंचित	धान	AM	ST
28	धोबीराम व0 मतवार	167	1.457	0.098	0.24	3.687	असिंचित	धान	AM	ST
योग	**28**	**30**	**12.267**	**2.478**	**6.12**	**37.879**				

दिनांक 5/1/2016

प्रति,
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा

सन्दर्भ:- माननीय जिला अधिकारी के पत्र क्रमांक 11805/
भू-अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/12/2016

विषय:- भू अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अन्तर्गत, एवम् सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना ग्राम बुंदेहर के मूल्यांकन हेतु रिपोर्ट

उपर्युक्त विषय एवम् सन्दर्भ के विषय मे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा जिला रायगढ़ की उपस्थिति मे विशेषज्ञ समूह के दल द्वारा दिनांक 28/12/2016 को घरघोड़ा मे उपरोक्त विषय पर चर्चा हेतु बैठक आयोजित की गयी सम्बंधित दस्तावेजो के आधार पर यह विदित हो रहा है कि उक्त ग्राम की जमीन का कुछ भाग ही भू अर्जन के लिए प्रस्तावित है। प्रस्तावित भू अर्जन की जमीन से रेलवे ट्रैक प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेलवे ट्रैक सेरन टी पी सी लारा के लिए तिलई पाली से कोयला का परिवहन होना सुनिश्चित है। बिना प्रस्तावित भूमि के भू अर्जन के परियोजना को पूर्ण होने के लिए अति आवश्यक है। पुन: प्रस्तावित भूमि का रकबा 3.17 एकड़ है और ट्रैक की लम्बाई 1.540 किमी. है।

प्रस्तावित भूमि का भू अर्जन रेलवे लाइन (ट्रेक) के आधार पर किया गया है। जिसमे कारपेशन कि चौड़ाई, तालाब एवम पानी के निकास का यथा उचित ध्यान रख कर किया गया है। साथ ही ट्रैक कि मरम्मत की आवाजाही के लिए उपयोग मे आने वाली भूमि का ध्यान रख कर किया गया है।

अत: यह सत्यापित किया जाता है कि ग्राम बुन्देहर, तहसील तमनार जिला रायगढ़ कि प्रस्तावित भूमि रेलवे ट्रैक के मापदंडो के आधार पर किया गया है। अनावश्यक भूमि अर्जित नहीं की जा रही है।

हरीलाल सेवानिवृत कार्यपालन अभियंता निर्माण द.पू.म.रे.
बिलासपुर 5/1/17

आज दिनाँक 28/01/2017 को तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का सामाजिक समाघात निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे।

नाम	हस्ताक्षर
1 राधेश्याम वैष्णव	28/1/17
2. योगेश शर्मा	Sharma 28/1/17
(3) Harilal	28/1/17 → 8109188088
(4) श्री Dixit	→ 9425235366
(5) Sudhir V. Dandekar	28/1/2017 → 9826370111
(6) S. Jayavardhan	28.1.17
(7) Neha Sharma	
(8) राधेश्याम राठिया	
(9) C.M. Naik (GM.TL)	28-01-17
(10) N.M Swain, Sr. Mgr, Rem	28.01.17